न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/30/2025	2025/179	09.09.2025	12.05.2026

1.रामकेदार पुत्र स्व0 श्री किशन लाल उम्र करीब 75 वर्ष जाति ब्राह्मण,
2.जगदीश पुत्र स्व0 श्री किशन लाल उम्र करीब 68 साल जाति ब्राह्मण,
3.महेश पुत्र स्व0 श्री किशन लाल उम्र करीब 65 साल जाति ब्राह्मण,
4.देवकीनन्दन पुत्र स्व0 श्री सुरेश (दादा किशन लाल) उम्र करीब 34 वर्ष जातियान ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम डेरा तहसील रैणी, जिला अलवर (राज0)।
5.सुशीला पुत्र स्व0 श्री सुरेश पत्नी जितेन्द्र (पौत्री मृतक किशन लाल दादा) उम्र करीब 32 साल,
6.मनीषा पुत्री स्व0 श्री सुरेश धर्मेन्द्र (पौत्री मृतक किशन लाल दादा) उम्र करीब 30 साल निवासीयान डेरा तहसील रैणी हाल निवासी करनावर तहसील बसवा दौसा।
7.श्याम सुन्दर पुत्र स्व0 श्री रामोतर उम्र करीब 62 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डेरा, तहसील रैणी, जिला अलवर (राज0)।
8.गायत्री पुत्री स्व0 श्री रामोतार पत्नी शिवप्रसाद उम्र करीब 55 वर्ष जाति ब्राह्मण, निवासी डेरा तहसील रैणी जिला अलवर हालवासी जयपुर।
9.सावित्री पुत्र स्व श्री रामोतार पत्नी शंकर दयाल जाति ब्राह्मण आयु करीब 53 साल निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर हाल निवासी रिन्दली तोता का बास तहसील मुण्डावर जिला दौसा (राज0)।
10.उर्मिला पुत्री रामोतार पत्नी हरिमोहन जाति ब्राह्मण आयु करीब 50 साल निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर हाल निवासी बांदीकुई जिला दौसा।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1.अनुप चन्द पुत्र श्योदयाल उर्फ श्योदान जाति ब्राह्मण आयु करीब 62 वर्ष निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी, जिला अलवर (राज0)।
2.भगवान पुत्र श्री श्योदयाल उर्फ श्योदान उम्र करीब 65 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर (राज0)।
3.तहसीलदार रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।
4.अकबर खान पुत्र उषमान खान जाति मेव उम्र करीब 65 साल निवासी ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।
5.जगमोहन मीना पुत्र देवीसहाय मीना जाति मीना निवासी ग्राम टोडानागर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
6.बनासपति मीना पत्नी यादराम मीना जाति मीना निवासी आगला रामा की ढाणी ढिगारिया भीम तहसील बैजुपाडा जिला दौसा (राज0)।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.06.2007 तहसील राजगढ जिला अलवर जिनके द्वारा आराजी खसरा न0 102/1505 रकबा 0.09, 100 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर का इन्तकाल संख्या 493 रेस्पोडेंट 01 लगायत 02 के पिता श्योदयाल उर्फ श्योदान पक्ष में दर्ज कर स्वीकार फरमाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

उपस्थितः–

01.श्री पुनीत शर्मा – वकील अपीलाण्ट्स
02.श्री सुरेश चन्द शर्मा –वकील रेस्पोडेंट 01 व 02
03.श्री दीपक मीना (राजकीय अभिभाषक) –वकील रेस्पोडेंट 03
04.श्री विजय सिंह गुर्जर –वकील रेस्पोडेंट 04 व 05

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार रैणी जिला अलवर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 493 दिनांक 11.06.2007 वाके ग्राम डेरा, तहसील रैणी जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 102/1505 रकबा 0.09, 100 रकबा 0.11 है. वाके ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर के पूर्व खातेदार अपीलान्ट संख्या 01 लगायत 03 के पिता किशन लाल व 04 लगायत 06 के दादा किशन लाल व 07 लगायत 10 के पिता रामोतार थे जिनके जीवित रहने के दौरान उनके पुत्र अर्थात अपीलान्ट के पिता किशनलाल सुरेश व रामोतार का स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार अपीलान्ट उसके वारिसान हुये जो अपीलान्ट संख्या 01 लगायत 03 के पिता मृतक किशनलाल व अपीलान्ट संख्या 04 लगायत 06 के पिता मृतक सुरेश अपीलान्ट संख्या 07 लगायत 10 के पिता मृतक रामोतार उक्त आराजी खसरा संख्या 102/1505 रकबा 0.09, 100 रकबा 0.11 है. वाके ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 102/1505 रकबा 0.09, 100 रकबा 0.11 है. वाके ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर के अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 03 के पिता किशनलाल व 04 लगायत 06 के पिता मृतक सुरेश व 07 लगायत 10 के पिता मृतक रामोतार समान भाग पर काश्त करते थें। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 02 द्वारा उक्त आराजी बाबत राजगढ उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ के समक्ष एक दावा विचाराधीन था। जिसका निर्णय दिनांक 23.04.2007 को न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित किया गया था। जिसकी अपील अपीलान्टान के पिता वो दादा द्वारा न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष पेश की गई। जिसमें रेस्पोडेन्टान को स्थगन आदेश से पाबन्द फरमाया गया। और उक्त अपील का निर्णय दिनांक 24.02.2011 को अपीलीय अधिकारी अलवर द्वारा पारित किया गया और अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित किया गया। कि उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है और विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का निर्णय व डिकी दिनांक 23.04.2007 निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण विद्वान तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें। जिस निर्णय की अपील रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगायत 02 के पिता श्योदयाल उर्फ श्योदान द्वारा राजस्व बोर्ड अजमेर में अपील पेश की गई। जो अपील आज भी विचाराधीन है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्टान के पिता द्वारा हल्का पटवारी से साज–बाज कर उक्त आदेश दिनांक 23.04.2007 उपखण्ड अधिकारी राजगढ के मुताबिक इन्तकाल संख्या 493 अपने हक में दर्ज करवा लिया। जो कि काबिल कायमी नही है। इस कारण उक्त इन्तकाल संख्या 493 को निरस्त करते हुये उक्त आराजी खसरा नम्बर 102/1505 रकबा 0.09, 100 रकबा 0.11 है. वाके ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर को अपीलान्टान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जाना न्यायोचित है।

अब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 02 स्वयं के नाम गलत तौर पर दर्ज इन्तकाल संख्या 493 के आधार पर हाल आराजी खसरा 102/1505 रकबा 0.09, 100 रकबा 0.11 है. वाके ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर से अपीलान्टान को जबरन बेदखल कर आराजी को दीगर सख्सों को बेचान कर उनका कब्जा करवाने की फिराक में है जिसका ईरादा रेस्पोडेन्टान ने दिनांक 30.08.2025 को अपीलान्टान के समक्ष जाहिर कर दिया। जिस अपीलान्टान को अपने अधिकारों की रक्षार्थ उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। रेस्पोडेनटान संख्या 01 लगायत 02 ने इन्तकाल संख्या 493 के आधार पर हाल आराजी खसरा नम्बर 102/1505 रकबा 0.09, 100 रकबा 0.11 है. वाके ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर से अपीलान्टान को जबरन बेदखल कर आराजी को दीगर शख्सों को बेचान कर उनका कब्जा करा दिया गया या आराजी के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में अपीलान्ट के साथ व्यवधान उत्पन्न किया गया। तो अपीलान्ट को नापूर्ति होने वाली क्षति उत्पन्न होगी। जिसकी पूर्ति रेस्पोडेन्ट से भविष्य में किसी भी प्रकार से नही कराई जा सकेगी। रेस्पोडेन्टान 1 लगायत 2 ने इन्तकाल संख्या 493 के आधार पर हाल आराजी खसरा नम्बर 102/1505 रकबा 0.09, 100 रकबा 0.11 है. वाके ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर से अपीलान्टान को जबरन बेदखल कर दीगर सख्सों को बेचान कर उनका कब्जा करा दिया गया या आजी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में अपीलान्टान के साथ व्यवधान उत्पन्न किया गया तो अपीलान्टान का नापूर्ति क्षति उत्पन्न होगी। जिसकी पूर्ति रेस्पोडेन्टान से भविष्य में किसी भी प्रकार से नही कराई जा सकेगी। अपीलान्टान जिनकों कानून की जानकारी नही थी जो यह मानते हुये निश्चित हो गयें कि उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ के निर्णय दिनांक 23.04.2007 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील पेश कर रेस्पोडेन्टान के विरूद्व स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। और स्थगन आदेश दिनांक 16.07.2007 को और उक्त अपील का निस्तारण दिनांक 24.02.2011 को अपीलीय न्यायालय द्वारा किया गया। और अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ को अपील प्रति प्रेषित की गई। जिसकी अपील रेस्पोडेन्टान द्वारा राजस्व बोर्ड अजमेर में पेश की गई। जो आज भी विचाराधीन है। इस आधार पर अपीलान्टान को उक्त इन्तकाल संख्या 493 दर्ज होने की कोई जानकारी नहीं थी। परन्तु रेस्पोडेन्टान ने उक्त आराजी पर माह अगस्त में कब्जा करने की कोशिश की तब जानकारी हुई। जिस पर अपीलान्टान ने राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाई अपने वकील साहब से सम्पर्क कर कानूनी राय ली तत्पश्चात रूपयों का इन्तजाम कर बिना किसी देरी के अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। दिनांक 23.04.2007 से दिनांक 24.02.2011 तक अपीलिय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी में अपील विचाराधीन थी। तथा अब राजस्व बोर्ड अजमेर में अपील विचाराधीन है। इस कारण अपीलान्टान आस्वस्थ्य या निश्चित थें कि प्रकरण के विचाराधीन होने के दौरान इस प्रकार की कोई कार्यवाही नही हो सकती। परन्तु रेस्पोडेन्टान ने राजस्व कर्मचारियान हल्का पटवारी तहसीलदार से साज बाज कर बाला बाला उक्त नामान्तकरण दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्टान द्वारा उक्त आराजी से दिनांक 30.08.2025 को बेदखल करने की कोशिश की तब हुआ। जो समय कन्डोन फरमाये जाने योग्य है। जिससे अपील अन्दर मियाद पेश है। फिर भी रफाय हुज्जत से बचने के लिये दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है।

इन्तकाल संख्या 493 आराजी खसरा संख्या 102/1505 रकबा 0.09, 100 रकबा 0.11 है. वाके ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर खिलाफ मौका खिलाफ कब्जा है। जिस बिना पर उक्त इन्तकाल खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 ने न्यायालय के आदेश की अनुपालना नही की। और जान बूझकर इन्तकाल अपने नाम तस्दीक करवा दिया जिस बिना पर उक्त इन्तकाल संख्या 493 निरस्त किये जाने योग्य है। इन्तकाल बिना अपीलान्टान के सुने व बिना सूचना पत्र जारी किये खोले जाने न्याय के प्राकृतिक सिदान्तों की पूर्णतय अवेहल्लना की गई। जिस कारण इनाकाल खण्डित किये जाने योग्य है। उक्त इन्तकाल खोला जाना विधि विरुद्ध है। किशन लाल, रामोतार पुत्रान लक्ष्मीनारायण वो सुरेश पुत्र किशन लाल फोत हो चुके है। इसलिये उनके वारिसान को अपीलान्टान बनाये गये है। इनका मृत्यु प्रमाण पत्र अपील के साथ संलग्न है। उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 तहसीलदार कम सब रजिस्टार साहब राजगढ अलवर जो कि भूमिधारी है। जिनके अनतरण संबंधी दस्तावेज पंजीबद्ध करने का अधिकार प्राप्त है। तथा रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 2 इन्तकाल संख्या 493 की आड में आराजी को बेचान करने पर उतारू है। इस प्रकार आवश्यक पक्षकार होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को पक्षकार अपील बनाया गया है। इन्तकाल संख्या 493 तहसीलदार साहब राजगढ द्वारा दर्ज कर स्वीकार फरमाया गया था।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अतः अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 493 आराजी खसरा नम्बर 102/1505 रकबा 0.09, 100 रकबा 0. 11 है. वाके ग्राम डेरा तहसील रैणी जिला अलवर खण्डित किया जाकर जो रेस्पोडेन्टान संख्या 1 व 2 के पिता श्योदयाल उर्फ श्योदान के नाम तस्दीक कर दिया को निरस्त किया जावें तथा गलत इन्तकाल के आधार पर रेस्पोडेन्टान 1 लगायत 2 उक्त आराजी के उपयोग उपभोग अपीलान्ट के साथ किसी भी प्रकार की मजाहमत वो रूकावट पैदा ना करें। न बेदखल करें। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की मिल्लत से उक्त आराजी से प्रवेश न करें। न टैक्टर आदि ले जावें। न अपीलान्टान को बेदखल करें न उक्त आराजी का बेचान करें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01, 02, 04 व 05 जरिये अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 03 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 06 बाबजूद रजिस्टर्ड नोटिस अनुपस्थित।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली मे वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किये कि यह अपील तहसीलदार रैणी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 493 दिनांक 11.06.2007 के विरुद्ध पेश की गई है। यह नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के उस आदेश दिनांक 23.04.2007 पर आधारित है जिसे रेस्पोडेंट्स द्वारा एक्सपार्टी में करा लिया था उसे राजस्व अपील अधिकारी अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 24.02.2011 द्वारा निरस्त कर दिया था और मामले को पुनः सुनवाई हेतु रिमांड किया था। वर्तमान में मामला राजस्व बोर्ड अजमेर में विचाराधीन है। अपीलार्थी पक्ष को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। विवादित आराजी खसरा नंबर 102/1505 रकबा 0.09 एवं 100 रकबा 0.11 पर अपीलार्थीगण का निरंतर कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 इस गलत नामान्तरकरण की आड़ में अपीलार्थीगण को बेदखल करने और भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। एसडीओ रैणी में नया वाद किया है इसी दौरान दूसरे खातेदार ने फिर बेचान कर दिया। दौराने दावा बेचान कर रहे हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इंतकाल को निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने वकील अपीलांट द्वारा किये गये कथनों को नकारते हुए कथन किये कि नामान्तकरण संख्या 493 दिनांक 23.04.2007 उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित डिक्री दिनांक 23.04.2007 की पालना में दर्ज हुआ है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.04.2007 की अपील राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां की गई जिसे 1000 रूपये की कॉस्ट पर दिनांक 24.02.2011 को रिमाण्ड कर दिया। जिसकी अपील राजस्व मण्डल में की गई जो अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। वर्तमान अपील नामान्तकरण की अपील है। जिसकी जानकारी अपीलांट्स को पूर्व में थी। इसलिए अपील को लिमिटेशन पर खारिज करें। धारा 88 का वाद अभी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में विचाराधीन है जिसमें अधिकार तय होने हैं। बयनामा दिनांक 22.01.2026 और इसके बाद का बयनामा भी तस्दीक हो गया है। विवादित भूमि पर नये खातेदार आ गये हैं इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपील तहसीलदार रैणी के आदेश दिनांक 11.06.2007 से व्यथित होकर पेश की गई है, जिसके द्वारा ग्राम डेरा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 102/1505 रकबा 0.09 एवं 100 रकबा 0.11 है0 का नामान्तरकरण संख्या 493 रेस्पोडेन्टान के पक्ष में तस्दीक किया गया था। अपीलांट वकील के मुख्य तर्क हैं कि नामान्तरकरण बिना नोटिस और बिना सुनवाई के किया गया। विवादित भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

का नामान्तरकरण संख्या 493 रेस्पोडेन्टान के पक्ष में तस्दीक किया गया था। अपीलांट वकील के मुख्य तर्क हैं कि नामान्तरकरण बिना नोटिस और बिना सुनवाई के किया गया। विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा बताया गया है। वकील रेस्पोडेन्ट्स के मुख्य तर्क हैं कि उक्त नामान्तरकरण सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना में दर्ज किया गया था। वर्तमान में धारा 88 का वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, जहाँ स्वत्व का निर्धारण होना शेष है। इसके अतिरिक्त, भूमि का बेचान अन्य तृतीय पक्षों को किया जा चुका है और नए खातेदार रिकॉर्ड में आ चुके हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण संख्या 493 दिनांक 11.06.2007 को तत्कालीन प्रभावी न्यायिक डिक्री दिनांक 23.04.2007 के आधार पर खोला गया था। तहसीलदार/पटवारी का यह कर्तव्य है कि वे न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना में इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। अतः उस समय तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही विधि–सम्मत थी। वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य विवादित भूमि के स्वत्व को लेकर धारा 88 के तहत नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण की कार्यवाही राजकोषीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है और इससे किसी पक्ष का स्वत्व अंतिम रूप से तय नहीं होता। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं मुताबिक रिकॉर्ड/जमाबंदी के अनुसार रेस्पो0 उक्त विवादित आराजी के दर्ज रिकॉर्डेड खातेदार हैं जिनके द्वारा भूमि का आगे बेचान दिनांक 22.01.2026 एवं अन्य बयनामा किया जा चुका है और नए खातेदार रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में केवल एक पुराने नामान्तरकरण को चुनौती देना प्रभावी उपचार नहीं है, विशेषकर जब मूल वाद अभी लंबित हो। स्वत्व संबंधी वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, अतः इस स्तर पर नामान्तरकरण अपील में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता। चूंकि नामान्तकरण सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के आधार पर तस्दीक हुआ था तथा तहसील रैणी द्वारा इंतकाल दर्ज/तस्दीक करते समय कोई विधिक त्रृटि नहीं की गई। अतः इस स्तर पर तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 493 दिनांक 11.06.2007 में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को सूचनार्थ व पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)